


क्र.नं. 121/17

गिखर सिंह बनाम विजेन्द्र सिंह

26 ¹¹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित। वकील अपीलान्त उपस्थित नहीं आए ना ही अपीलान्त उपस्थित आए। बार-बार आवाज दिलाने पर भी अपीलान्त एवं वकील अपीलान्त के उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



अतिरिक्त
समाप्त